राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : डॉ.गुंजन सोनी (आर.ए.एस.)

पंचायत निगरानी मुकदमा नं. 65/2022 **GCMS No. 2022/191**

अपीलांट–	**बनाम**	**उत्तरदातागण–**
1. विकास अधिकारी, गिड़ा जिला बालोतरा।	**बनाम**	1. सरपंच ग्राम पंचायत खोखसर पंचायत समिति गिड़ा, जिला बालोतरा 2. हेमाराम पुत्र खेताराम जाति जाट निवासी खोखसर पंचायत समिति गिड़ा जिला बालोतरा।

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1996 विरूद्ध पट्टा संख्या 105 दिनांक 15.08.2004 जो अप्रार्थी सं. 2 के नाम ग्राम पंचायत खोखसर पंचायत समिति गिड़ा, जिला बालोतरा द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री विकास अधिकारी, गिड़ा प्रार्थी स्वयं उपस्थित।
2. अप्रार्थी सं. 2 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक :10.06.2025

प्रार्थी की ओर से यह निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत खोखसर पंचायत समिति गिड़ा, जिला बालोतरा द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के नाम जारी पट्टा संख्या 56 दिनांक 15.08.2004 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

1. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी संख्या 01 सरपंच ग्राम पंचायत खोखसर पंचायत समिति गिड़ा, व अप्रार्थी संख्या 2 हेमाराम पुत्र खेताराम जाति जाट निवासी खोखसर पंचायत समिति गिड़ा जिला बालोतरा के पक्ष में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 (1994 का राजस्थान अधिनियम सं. 13) के तहत मौजा खोखसर में ग्राम पंचायत की आबादी भूमि नहीं होकर ओरण भूमि खसरा नम्बर 1713 की भूमि गैर मुमकिन ओरण की भूमि हैं उक्त पट्टे को जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1996 के प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने से उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलू की जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

2. प्रार्थी की निगरानी दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत खोखसर से निगरानीधीन अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया।

3. अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता द्वारा पेश जवाब में कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 2 को राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1996 के नियम 150 से 152 के तहत मिसल 2003 में पट्टा संख्या 105 दिनांक 15.08.2004 को जारी किया गया है। उक्त आलोच्य ओरण भूमि खसरा नम्बर 1713 की भूमि गैर मुमकिन ओरण की भूमि हैं उक्त पट्टे को जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1996 उपर्युक्त परिपत्र के अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 2 को पट्टा जारी करने में अपने क्षैत्राधिकार का दुरूपयोग किया गया है। इस प्रकार प्रार्थी ने गलत तथ्यो के आधार पर वर्तमान निगरानी पेश की है, जो खारिज होने योग्य है।

न्यायालय अपर कलक्टर बालोतरा (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
बालोतरा

4.प्रार्थी स्वयं दौराने बहस यह कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 2 को सरपंच ग्राम पंचायत खोखसर के पद पर रहते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(2) के तहत मिसल संख्या 2003 में पट्टा संख्या 105 दिनांक 15.08.2004 जिसका क्षेत्रफल 63.75 वर्ग गज का जारी किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त आलोच्य पट्टा जारी करने में पंचायतीराज अधिनिमय 1996 के नियमों की पालना नहीं की गई। राजस्थान पंचायतीराज एवं न्याय पंचायत सामान्य नियम 1961 के नियम 266 की अनदेखी कर गैर मुमकिन ओरण भूमि अपने क्षैत्राधिकार से परे जाकर पंचायतीराज नियम विरूद्ध आलोच्य पट्टा जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में आलोच्य पट्टा जारी करने में विधि एवं तथ्यों की भारी भूल की है, अप्रार्थी संख्या 2 ने बहस कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 2 को नियम 157(2) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत मिसल 2003 में पट्टा संख्या 105 दिनांक 15.08.2004 को जारी किया गया है। उक्त आलोच्य भूखण्ड खसरा संख्या 1713 गैर मुमकिन ओरण है। पट्टा एक दस्तावेज सबूत है, जिसको रद्द करने का क्षेत्राधिकार मात्र सिविल न्यायालय को है। इस प्रकार प्रार्थी ने जो गलत तथ्यो के आधार पर वर्तमान निगरानी पेश की है, जो खारिज होने योग्य है।

5.हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं मनन किया गया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर डी.बी. सिविल रिट पीटीशन संख्या 16354/2018 हुकमीचंद वगैरा बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 28.11.2019 के अनुसार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना में ग्राम खोखसर की ओर भूमि पर से अतिकगमण हटाने हेतु आदेश जारी किया गया। जिस पर तहसीलदार गिड़ा द्वारा पत्र कमांक 85 दिनांक 03.09.2021 द्वारा उक्त पट्टा ओरण भूमि में जारी होने की जानकारी दी गई फलस्वरूप निगरानीकर्ता द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

6.अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पाया कि ग्राम पंचायत खोखसर द्वारा मिसल संख्या 2003 पर पंचायत की बैठक में फैसल दिनांक 15.08.2004 के अनुसरण में आलौच्य पट्टा सं. 105 दिनांक 15.08.2004 को अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी किया गया है। जिसमें राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 266 की पालना नहीं की गई।

7.अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या 1 सरपंच ग्राम पंचायत खोखसर द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 हेमाराम पुत्र खेताराम जाति जाट निवासी खोखसर पंचायत समिति गिड़ा जिला बालोतरा के नाम जारी पटटा संख्या 105 दिनांक 15.08.2004 को राजस्थान पंचायतीराज नियम के प्रावधित विधिक प्रावधानों के विपरित होने से एवं विधिसम्मत नहीं होने से पट्टा निरस्त किया जाता है। अधिनस्थ ग्राम पंचायत खोखसर का विलेख निर्णय की प्रति के साथ अविलम्ब प्रेषित हो। एवं विकास अधिकारी, गिड़ा को निर्देशित किया जाता है कि निर्णय के अनुक्रम में विधिसम्मत अग्रिम कार्यवाही शीघ्र सम्पन्न करावें। निर्णय की एक हस्ताक्षर सुदा प्रति पत्रावली में रखी जावें।

8. निर्णय आज दिनांक 10.06.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय अपर कलक्टर बालोतरा (राज.)

(डॉ गुंजन सोनी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
बालोतरा